



स्चना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक स्चना अधिकारी Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005 केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गृहगांव, हरियाणा-122007



Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Harvana-122007

PGCIL/R/E/22/00023

दिनांक: 10 February, 2022

Ms PINKI

JAMMU, Jammu And Kashmir-180001

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 13 January, 2022 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-। में संलग्न है।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांब-122001, हरियाणा। ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in

फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

(जसबीर सिंह)

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.स्.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub: Reply to RTI Request of Ms Pinki, Jammu, Jammu & Kashmir-180001

Information sought:

Reply:

Please provide the copy of the question papers and answer key set for the recruitment of executive finance trainee accounts officer AAO and finance jobs w.e.f. 2011 to 2011.

With regards to the question paper, the question paper is used as a part of the selection process in POWERGRID & the questions therein are commissioned and acquired by POWERGRID after payment of due fees to a third party. Moreover, they are a part of our Question Bank which may be used as a part of selection process for future recruitment processes. Disclosure of questions/question papers under RTI shall deem the questions unusable for any future recruitment exercise.

Accordingly, information sought is commercial confidence in nature, disclosure of which would harm the competitive position of the third party, therefore, is exempted under section 8(1) (d) of the RTI Act, 2005.

इमीराडमार